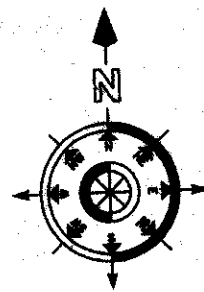


# स्वराज एन्कलेव ब्लॉक-बी

PROPOSED SITE PLAN OF RESIDENTIAL PLOT'S MAP  
AT NEAR SAMMRADHI NAGAR VISTAR  
BARAN ROAD, MAANPURA, KOTA (RAJ.)



SCALE 1IN.= 50 FT.

KH.NO.- AREA IN HACT.  
43(part) 0.31  
31 1.42  
TOTAL 1.73

KH.NO.311

KH.NO.312

APPROVED PLANNING RLY. SOCIETY

APPROVED PLANNING RLY. SOCIETY  
ROAD-40 FEET WIDE

KH.NO.312

KH.NO.45

KH.NO.43

KH.NO.44

KH.NO.37

KH.NO.42

## AREA STATEMENT:- BLOCK(B)

TOTAL AREA- 1,86,148 SQ.FT.

| RESIDENTIAL AREA | 1,10,581 SQ. FT. | 59.40 % |
|------------------|------------------|---------|
| PARK             | 9,505 SQ. FT.    | 5.11 %  |
| ROAD AREA        | 66,062 SQ. FT.   | 35.49 % |
| TOTAL AREA       | 1,86,148 SQ. FT. | 100 %   |

Signature

SIG. OF OWNER:-

अनुसूचित जातों के राजस्थान रील एस्टेट (Regulation and Development) Act, 2016 के अन्तर्गत बनाए गए राजस्थान रील एस्टेट (Regulation and Development) Rules, 2017 के अन्तर्गत Real Estate Regulatory Authority, Rajasthan, Jaipur में उक्त प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एवं उपरोक्त विवरण में दर्शाए गए प्रमाणों की परामर्श की जायेगी। अतः Real Estate Regulators Authority में रजिस्ट्रेशन करवाकर न्यास में प्रस्तुत करें। उक्त प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त ही भूखण्डों के विवरण इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त प्रोजेक्ट का Real Estate Regulators Authority में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने व उपरोक्त विवरणों में दर्शाए गए प्रमाणों की परामर्श नहीं करने वाले की स्थिति में यह सर्वोक्ति मान्य नहीं होगी।

THIS DRG ENCLOSED WITH US  
LETTER NO. F.2.2.12047/1201  
DATED 03.02.2017

OFFICE USE ONLY  
ले-आउट प्लान (अनुसूचित जातों के) बरान रोड 31, 43 नाम मानपुरा क्षेत्र  
17300 वर्गमीटर (Mark: A.P.C.D.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16/12/2015 में लिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है :-

| अवकाश         | पार्क/Religious | आई.टी.       | सड़क          |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 106636.11     | 9423.37         | 3030.00      | 58871.31      |
| वर्गमीटर      | वर्गमीटर        | वर्गमीटर     | वर्गमीटर      |
| 59.92 प्रतिशत | 5.30 प्रतिशत    | 1.70 प्रतिशत | 33.08 प्रतिशत |

कुल क्षेत्रफल - 177960.79 वर्गमीटर

- (1) परिवर्तनीय सीमा पर प्राथम लेआउट प्लान के अनुसार 80' चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा जाना होगा।
- (2) राजस्थान पोलिसी-2010 की परामर्श सुनिश्चित की जाना अपेक्षित है।
- (3) योजना में 5 प्रतिशत पार्क/कुल क्षेत्र एवं पार्क/वार्ड क्षेत्र रखा जाये।
- (4) ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार योजना में आई.टी. का प्रावधान रखा जाये।
- (5) अनुसूचित जातों के आर्थिक विकास हेतु राजस्थान पोलिसी-2010 के अनुसार तकनीक प्रस्तुत करने होंगे एवं तकनीकी का न्यास की अधिवासी शाखा से अनुमोदन - उपरान्त तत्काल विकास कार्य करने होंगे।
- (6) ले-आउट में सड़कों का लेआउट इस प्रकार हो कि ब्लॉक की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित हों में सुचारु रूप से हो सके।
- (7) निवासानुसार ई.टी.सी. राशि व अन्य शुल्क जमा कराये जाये।
- (8) पट्टे जारी करने से पूर्व स्वामित्व, क्षेत्रफल व अन्य कोई विवाद न हो इस बात सुनिश्चित कर ली जाये।
- (9) पट्टे जारी करने से पूर्व मौके पर ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार भूखण्ड की उपयुक्तता सुनिश्चित की जाये।

बरिष्ठ नगर निरीक्षक  
नगर विकास विभाग, कोटा

नोट :- योजना के आन्तरिक विकास हेतु निवासानुसार 12.5% प्रतिशत में भूखण्ड से B-13, B-14, B-35, B-36, B-61, B-62, B-83, B-84 एवं B-93 से B-100 (16 भूखण्ड) कुल क्षेत्रफल 13955.5 वर्गमीटर आवंटित किये जाते हैं, जिन्हें हरे रंग से दर्शाया गया है। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आवंटित भूखण्डों को खन रखा जाने हेतु मॉनेटरी वीड उपस्थित करवाये। उक्त भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मुक्त किये जा सकेंगे।